अध्याय-III
राज्य उत्पाद

कार्यकारी सारांश

इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया	इस अध्याय में हमने उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/ विलम्ब से बन्दोबस्ती के संबंध में अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होने के कुछ मामलों को दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत किया है। यह चिन्ता का विषय है कि हमारे द्वारा पिछले कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बारम्बार इस तरह की चूकें इंगित की गई हैं, परन्तु विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाईयाँ समस्या के पूर्ण उन्मूलन के योग्य नहीं रही है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012-13 में राज्य उत्पाद प्राप्तियों के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 26.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती की प्रतिशतता में वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के फीस की दरों में वृद्धि बताया गया।
आन्तरिक लेखापरीक्षा	विभाग के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। वित्त विभाग के लेखापरीक्षकों ने भी वर्ष 2012-13 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालन नहीं किया।
हमारे द्वारा 2012-13 में संचालित लेखापरीक्षा के प्रभाव	वर्ष 2012-13 में हमने उत्पाद शुल्क एवं अन्य राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बन्धित 18 इकाईयों के अभिलेखों नमूना जाँच किया एवं 1,173 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 68.22 करोड़ शुल्क, फीस, अर्थदण्ड आदि का नहीं/अल्प वसूली पाया।
हमारा निष्कर्ष	**उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा के गठन के साथ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि व्यवस्था की कमजोरियाँ दूर हो सके एवं हमारे द्वारा इंगित प्रकृति की चूकों से भविष्य में बचा जा सके।**

अध्याय-III: राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का अधिरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/जारी अधिसूचनाओं द्वारा शासित होता है। सरकार के स्तर पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। उत्पाद आयुक्त (उ.आ.) विभाग के प्रधान होते हैं। वे राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। उन्हें मुख्यालय में एक उपायुक्त उत्पाद और एक सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा सहयोग किया जाता है।

झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों[1] में विभाजित है, प्रत्येक प्रमंडल एक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन है। प्रमण्डलों को पुन: 19 उत्पाद जिलों[2] में बाँटा गया है, प्रत्येक जिला एक सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन है।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग में निहित है। तथापि, बजट अनुमानों के लिए आँकड़ा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जाता है, जो आँकड़े की सत्यता के लिए उत्तरदायी है। अस्थिर राजस्व के मामले में अनुमान विगत तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के विरूद्ध राज्य उत्पाद से वास्तविक प्राप्तियाँ इसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों सहित निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

---

[1] उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका।

[2] बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू-सह-लातेहार, राँची, साहेबगंज तथा सरायकेला-खरसावाँ।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+) कमी (-)	विचरण का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर की प्राप्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य उत्पाद की वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2008-09	357.52	205.46	(-) 152.06	(-) 43	3,753.21	5.47
2009-10	550.00	322.75	(-) 227.25	(-) 41	4,500.12	7.17
2010-11	525.00	388.34	(-) 136.66	(-) 26	5,716.63	6.79
2011-12	445.00	457.08	(+) 12.08	(+) 2.71	6,953.89	6.57
2012-13	650.00	577.92	(-) 72.08	(-) 11.09	8,223.67	7.03

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं वर्ष 2013-14 के राजस्व एवं प्राप्तियों के विवरणी के अनुसार संशोधित अनुमान।

2012-13 में राज्य उत्पाद प्राप्तियों के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 26.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे विभाग द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती की प्रतिशतता में वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की शुल्क की दरों में वृद्धि का परिणाम बताया गया।

सिवाय 2011-12 के, विभाग बजट अनुमान प्राप्त नहीं कर सका। संशोधित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच का अंतर (-)43 और 2.71 प्रतिशत के बीच रहा। हमारे पूछताछ के उत्तर में विभाग ने बताया (जून 2013) कि बजट अनुमान सचिव एवं आयुक्त उत्पाद तथा वित्त सचिव के बीच हुए विचार विमर्श के आधार पर वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तैयार किये गये थे। तदन्तर, यह सूचित किया गया कि बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में अंतर का कारण कमजोर आधारभूत संरचना एवं कर्मचारी के अभाव के साथ-साथ राज्य के राजस्व संभावना से उच्चतर लक्ष्य का निर्धारण था।

हम अनुशंसा करते हैं कि बजट अनुमान यथार्थ और वैज्ञानिक आधार पर तैयार करने के लिए सरकार विभाग को उपयुक्त निर्देश जारी कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये वास्तविक के समीप है।

3.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व के बकाये की राशि, जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, ₹ 31.37 करोड़ था, जिसमें से ₹ 25.29 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से लंबित थे। वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान राजस्व के बकाये की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया राशि का प्रारंभिक शेष	बकाया राशि का अंतिम शेष
2008-09	29.16	29.39
2009-10	29.39	30.94
2010-11	30.94	30.94
2011-12	30.94	31.07
2012-13	31.07	31.37

स्रोत: उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

विभाग ने वर्ष के दौरान में बकाये में योग तथा वसूली एवं संग्रहण हेतु लक्ष्य के सम्बध में सूचना प्रस्तुत नहीं किया। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31 मार्च 2013 को बकाये राशि का अन्तिम शेष ₹ 31.37 करोड़ में से ₹ 13.30 करोड़ माँग के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु नीलामपत्रवाद दायर किया गया, ₹ 15.98 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों तथा अन्य विधिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगाई गई, ₹ 10.55 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया होने के कारण स्थगित रखी गई तथा ₹ 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 1.82 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है (दिसम्बर 2013)।

इस प्रकार उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि बकाये की कुल राशि का केवल 42.40 प्रतिशत बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली (लो.माँ.व.) अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू कर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय था।

हम अनुशंसा करते हैं कि देय राजस्व की वसूली के हित में भू-राजस्व बकायों की तरह वसूलनीय बकायों एवं न्यायायलीय मामलों के सतत अनुश्रवण द्वारा बकाया मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु सरकार विभाग को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य उत्पाद के अन्तर्गत सकल संग्रहण, इसके संग्रहण पर किये गये व्यय एवं सकल संग्रहण की इस प्रकार के व्यय की प्रतिशतता के साथ पूर्ववर्ती वर्षों के संग्रहण लागत का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे के तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण व्यय की प्रतिशतता	पूर्ववर्ती वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008-09	205.46	10.38	5.05	3.27
2009-10	322.75	13.75	4.26	3.66
2010-11	388.34	13.27	3.42	3.64
2011-12	457.08	15.95	3.49	3.05
2012-13	577.92	14.92	2.58	2.98

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के अखिल भारतीय औसत 2.98 के विरुद्ध 2008-09 में 5.05 से घटकर 2012-13 में 2.58 हो गयी। हम संग्रहण लागत कम रखने के विभाग के प्रयासों की सराहना करते हैं तथा अनुशंसा करते हैं कि विभाग को आगामी वर्षों में भी इस प्रवृत्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

विभाग ने हमें सूचित किया कि उसका अपना लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त विभाग के लेखापरीक्षकों ने भी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया था।

सरकार एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के गठन पर विचार कर सकती है ताकि राजस्व की शीघ्र और सही वसूली हेतु अधिनियम/नियमावली का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

3.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 अवधि के दौरान हमने 25 कंडिकाओं में ₹ 350.85 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क की नहीं/अल्प अधिरोपण के मामलों को इंगित किया। जिनमें से, विभाग/सरकार ने ₹ 42.58 करोड़ राशि के हमारे अवलोकनों को स्वीकार किया और 2012-13 तक ₹ 1.89 करोड़ की वसूली की जानकारी दी। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	आपत्तियों की राशि	स्वीकृत वसूलनीय राशि	कॉलम 4 से वर्ष 2012-13 तक की गयी वसूली
1	2	3	4	5
2007-08	1	26.92	26.92	शून्य
2008-09	7	75.56	1.15	1.15
2009-10	5	0.49	0.49	0.37
2010-11	6	165.95	13.30	0.28
2011-12	6	81.93	0.72	0.09
कुल	**25**	**350.85**	**42.58**	**1.89**

स्रोत: उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विरुद्ध ₹ 42.58 करोड़ की स्वीकार की गई राशि के विरुद्ध केवल ₹ 1.89 करोड़ (4.44 प्रतिशत) की वसूली की गई है।

3.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान हमने राज्य उत्पाद से संबंधित 72 इकाइयों का नमूना जाँच किया तथा अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों में 2,918 मामलों में ₹ 462.38 करोड़ की राशि के राजस्व प्रभाव के उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/ विलम्ब से बन्दोबस्ती, फीस, शुल्क आदि की नहीं/अल्प वसूली के मामलों को इंगित

किया। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 188.71 करोड़ सन्निहित 1,149 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और 2012-13 तक ₹ 57 लाख वसूल किया। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिग्रस्त राशि		स्वीकार की गई राशि		कॉलम 6 में से 2012-13 तक वसूल की गई राशि
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	11	121	12.05	94	2.06	0
2008-09	14	87	92.93	63	38.32	0.23
2009-10	9	242	29.78	241	27.98	0.02
2010-11	19	1,560	218.32	164	39.00	0.02
2011-12	19	908	109.30	587	81.35	0.30
कुल	**72**	**2,918**	**462.38**	**1,149**	**188.71**	**0.57**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विरुद्ध स्वीकार की गयी राशि ₹ 188.71 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 57 लाख (0.30 प्रतिशत) की वसूली की गई।

चूंकि विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों में बहुत कम वसूली की गई है, हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग इन मामलों से सम्बन्धित राजस्व की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए।

3.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य उत्पाद से सम्बधित 23 इकाइयों में से 18 इकाइयों, जिनका राजस्व संग्रहण ₹ 442.25 करोड़ था, के अभिलेखों के हमारे नमूना जाँच ने 1,173 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 68.22 करोड़ की राशि का उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/विलम्ब से बन्दोस्ती, अनुज्ञा शुल्क की वसूली न होना इत्यादि उजागर किया जिसकी विवरणी निम्न है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	उत्पाद दुकानों का बन्दोबस्ती नहीं होना/विलम्ब से होना	138	46.02
2	अनुज्ञा शुल्क का वसूली न होना	21	0.44
3	अन्य मामले	1,014	21.76
	कुल	**1,173**	**68.22**

वर्ष के दौरान विभाग ने 2012-13 के दौरान हमारे द्वारा इंगित 190 मामलों में ₹ 41.90 लाख के अनुज्ञा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं होने/अल्प वसूली तथा अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया।

हमारे द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान बताये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों में से दो प्रारुप कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 21.21 लाख सहित 119 मामलों में ₹ 38.23 लाख की सम्पूर्ण राशि विभाग ने सुरक्षित जमा से समायोजित किया।

इस अध्याय में हम उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/विलम्ब से बन्दोबस्ती से सम्बन्धित कुछ दृष्टान्तस्वरूप मामले को प्रस्तुत करते हैं। निम्न कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गयी है।

3.7 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं होना

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम एवं जारी अधिसूचनाएँ खुदरा उत्पाद दुकानों की शत-प्रतिशत बन्दोबस्ती के लिए प्रावधान करती है।

अधिनियम/नियमावली के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं होने के कारण खुदरा उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/विलम्ब से बन्दोबस्ती कंडिका सं. 3.8 में उल्लेखित है।

3.8 खुदरा उत्पाद दुकानों की अबन्दोबस्ती/विलम्ब से बन्दोबस्ती

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 30 के प्रावधानों के अधीन तथा बिहार उत्पाद कानून के परिशिष्ट के कंडिका 88 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नीतियों के अधीन राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार ने संकल्प एवं अधिसूचना संख्या क्रमश: 367 एवं 647 दिनांक 20 फरवरी 2009 एवं 27 मार्च 2009 के द्वारा अधिक उत्पाद राजस्व के उत्पत्ति के लिए, अवैध शराब की बिक्री पर रोक, एक व्यक्ति/इकाई के आधिपत्य पर नियंत्रण और ग्राहकों को मानक शराब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा बन्दोबस्ती करने के लिए मार्गदर्शिका सहित एक नई उत्पाद नीति को अपनाया। इन उद्देश्यों के लिए अनुज्ञा शुल्क अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक प्रकार के शराब के उठाव के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) के आधार पर निर्धारित होनी थी। तदन्तर, सभी खुदरा दुकानों को समूहों (एक समूह में अधिकतम तीन खुदरा दुकानें शामिल) में विभाजित करना था। खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं होने की स्थिति में अनुज्ञा प्राधिकारियों को उन्हें प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए इन दुकानों को घटे हुए अनुज्ञा शुल्क पर किसी व्यक्ति/कमिटी/कम्पनी को अनुज्ञा निर्गत करने के लिए उत्पाद आयुक्त (उ.आ.) को अनुशंसा करनी है ताकि उ.आ. उत्पाद राजस्व के हित में खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती का अनुमोदन कर सके।

3.8.1 हमने बन्दोबस्ती एवं सम्बन्धित अभिलेखों[3] से आठ उत्पाद जिलों[4] में पाया (मई 2012 और फरवरी 2013 के मध्य) कि उत्पाद खुदरा दुकानों की उनके न्यू.प्र.मा. और अनुज्ञा शुल्क, अग्रिम अनुज्ञा शुल्क और सुरक्षित जमा को दर्शाते हुए एक सूची तैयार की गई तथा सभी तथ्यों को शामिल करते हुए फरवरी 2010 में 46 तथा फरवरी 2011 में 894 दुकानों (कुल 940 दुकानों) के लिए क्रमश: वर्ष

[3] बिक्री अधिसूचना, अनुज्ञा शुल्क पंजी तथा लॉटरी पंजी।

[4] बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताड़ा तथा राँची।

2010-11 एवं 2011-12 के लिए बन्दोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की गई। तथापि, समय-समय पर बिक्री अधिसूचना के प्रकाशन के बावजूद 128 खुदरा दुकानें[5] इन वर्षों के दौरान अबन्दोबस्त रहीं (2010-11: 2 और 2011-12: 126)। जिला स्तर से घटे हुए अनुज्ञा शुल्क पर उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सम्बन्धित स.आ.उ./अ.उ. द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये, जो खुदरा उत्पाद दुकानों की शत-प्रतिशत बन्दोबस्ती के लिए उत्तरदायी थे।

हमारे द्वारा जून 2013 में मामले को उठाये जाने के बाद सरकार/विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि घटे हुए अनुज्ञा शुल्क पर दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु प्रस्ताव किसी भी उत्पाद जिलों में प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह, वास्तविकता यह है कि विभाग ने राजस्व हित में घटे हुए अनुज्ञा शुल्क पर उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु निविदा आमंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

सदृश विषय 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 3.8.1 में बताया गया था जिन पर सरकार/विभाग ने अबन्दोबस्ती का कारण इच्छुक निविदाकर्ताओं का अभाव बताया। इस तरह, घटे हुए अनुज्ञा शुल्क पर दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु कोई मामले आयुक्त उत्पाद को संदर्भित नहीं किये गये और अबन्दोबस्ती का विषय अब भी मौजूद है।

3.8.2 हमने पाँच उत्पाद जिलों[6] में बन्दोबस्ती पंजी एवं सम्बन्धित अभिलेखों[7] से पाया (अगस्त 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) कि 734 खुदरा उत्पाद दुकानों में से, 2011-12 की 10 दुकानें, जिसे 31 मार्च 2011 तक बन्दोबस्त की जानी थी, 1 महीना 15 दिन (1 अप्रैल से 15 मई 2011) और 6 महीने 7 दिन (1 अप्रैल से 7 अक्टूबर 2011) के विलम्ब से 16 मई 2011 एवं 8 अक्टूबर 2011 के बीच बन्दोबस्त की गयी। इस प्रकार 94,055.04 लंदन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल.)/बल्क लीटर (बी.एल.) शराब की न्यू.प्र.मा. का उठाव अनुज्ञाधारियों द्वारा नहीं किया जा सका। इन दुकानों की विलम्ब से बन्दोबस्ती यह दर्शाता है कि या तो न्यू.प्र.मा. अनुचित तरीके से वितरित हुआ या दुकानों का समूहीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया गया।

हमारे द्वारा जून 2013 में मामले को बताये जाने के बाद सरकार/विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि पर अबन्दोबस्त दुकानों में से कुछ दुकानों की पूर्ण अनुज्ञा शुल्क पर बन्दोबस्ती जिला कार्यालयों के अथक प्रयास से संभव हो सका। इस तथ्य को देखते हुए उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है कि आगामी बन्दोबस्ती अवधि हेतु बन्दोबस्ती की

---

[5] अबन्दोबस्त/प्रस्तावित दुकानों की संख्या: 2010-11: गोड्डा (2/46), 2011-12: बोकारो (11/103), धनबाद (21/217), गुमला-सह-सिमडेगा (3/38), हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा (रामगढ़-26/80), जमशेदपुर (45/224), जामताड़ा (1/41) तथा राँची (19/191)।

[6] धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर एवं राँची।

[7] बिक्री अधिसूचना, अनुज्ञा शुल्क पंजी एवं लॉटरी पंजी।

प्रक्रिया इस प्रकार विनियमित होनी चाहिए थी कि वर्तमान अनुज्ञा अवधि के समापन के पूर्व ही सभी दुकानों की बन्दोबस्ती संभव हो।

सदृश विषय 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 3.8.2 में उठाये गये थे। दुकानों की विलम्ब से बन्दोबस्ती के कारण राजस्व हानि रोकने के लिए सरकार/विभाग ने कोई समुचित कदम नहीं उठाया है और विषय अब भी बरकरार है।